H.P.BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATION
DEPARTMENTALEXAMINATION
SESSION- September ,2020

PAPER-1 : (FINANCIAL ADMINISTRATION)
MORNING SESSION

Time Allowed -3 hours **Maximum Marks -100**

---

i) **Attempt any two question from Part-A and three question from Part -B**
ii) **All questions carry equal marks**
iii) **Only Bare Acts, approved reference books , rules and notification are allowed**
iv) **Use of calculator is allowed**
v) **Indicate same question number and its part as assigned in the question paper while answering the same**
vi) **Answer must be based with reference to applicability of relevant rules specifically in H.P. , wherever it is required.**

PART-A

Question-1 (A) Define the following as per Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 with amendment 2016.

1) Deposit
2) Financial Establishment.

(5+5)

(B) State the objectives and features of NITI Aayog . (10)

प्रश्न.1 (क) हिमाचल प्रदेश जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठान) अधिनियम 1999, वर्ष 2016संशोधन के साथ के अनुसार निम्नलिखित को परिभाषित करें।

1. जमा (हथालन)
2. वित्तीय संस्थान

(ख) नीति आयोग के उदेश्यों और विशेषताओं का वर्णन करे।

Question no-2 Explain the following as per HP treasury Rules 2017:

i) Refund through cyber treasury
ii) Receipt through cyber treasury
iii) Procedure for issue of non-payment certificate in case bills/ pay orders lost before payment
iv) Procedure for redrawal of amount on account of loss through misappropriation , defalcation , embezzlement etc.

(5+5+5+5)

प्रश्न.2 हिमाचल प्रदेश कोष नियम 2017 के अनुसार निम्नलिखित की व्याख्या करें:

1. साइबर ट्रैजरी के माध्यम से रिफंड
2. साइबर ट्रैजरी के माध्यम से प्राप्ति
3. भुगतान से पहले खोए हुए बिलों/भुगतान आदेशों में भुगतान न करने के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया
4. धांधली, अपस्फीति, गबन आदि के माध्यम से हानि के कारण राशि को पुनः निकासी/पुनर्वितरण करने की प्रक्रिया।

Question no-3 :Define the following terms :

i) Supplementary Grants
ii) Appropriation Bill
iii) Re-appropriation of Funds
iv) Contingency Fund of the State (5+5+5+5)

प्रश्न. संख्याः– 3 निम्नलिखित की व्याख्या करें:

1. अनुपूरक अनुदान
2. विनियोग विधेयक
3. निधि का पुनः विनियोजन
4. राज्य की आकस्मिकता निधि

Question no-4:

a) Describe the procedure to deal time barred claim of Travelling Allowance & Arrear Claim ?
b) Explain the duties and responsibilities of Administrative Secretary / Department in financial management of the department ?

(10+10)

प्रश्न.संख्याः– 4 (क) यात्रा भत्ते और और बकाया दावे के कालातीत दावे (time barred claim) से निपटने की प्रक्रिया का वर्णन करें?

(ख) विभाग के वित्तीय प्रबंधन में प्रशासनिक सचिव/विभाग के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की व्याख्या करे?

PART-B

Question 5(A) Comment on following :-

1. Mr . 'X' sought information under RTI Act from the Public Information Officer of the Department of Health & Family Welfare. Applicant instead of furnishing complete address mentioned only post box number in the RTI application .PIO refuses to furnish the information under RTI Act, 2005 , on the pretext that complete address of applicant is not mentioned in the RTI application .
2. Mr. 'Z' sought certain information under RTI Act, 2005 from the PIO of Education Department . PIO furnishes the information to the applicant after the stipulated time period of 30 days . Applicant aggrieved with delay in the supplying the information files appeal with the First Appellate Authority demanding that penalty be imposed on PIO and compensation be paid to him . First Appellate Authority does not agreed with the reasons of delay as submitted by the PIO and imposes the penalty of Rs. 5000/- (Rupees five thousand only) on him .

(5+5)

प्रश्न संख्याः–.5 (क) निम्नलिखित पर टिप्पणी करें:

1. श्री (X) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लोक सूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। आवेदक ने आरटीआई आवेदन में पूरा पता प्रस्तुत करने के बजाय केवल पोस्ट बॉक्स नंबर का उल्लेख किया। पीआईओ ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत इस कारण से सूचना देने इनकार कर दिया, कि आरटीआई आवेदन में आवेदक ने पूरा पता नहीं दर्शाया है।
2. श्री (Z) ने शिक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारी (PIO) से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मागी। जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को वांछित सूचना, 30 दिनों के निर्धारित समययवधि के बाद प्रदान की गई। सूचना को देरी से प्रदान किए जाने से असंतुष्ट होकर, आवेदक द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकरी के समक्ष अपील दायर की गई। अपील में अनुरोध किया गया कि जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाए और मुझे मुआवजा दिया जाए। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना विलम्भ में दिए जाने के कारणों से सहमत नहीं हुए तथा उस पर मु0 5000/– रू का जुर्माना लगाया गया।

(B) Explain the following as per Competition " Act , 2002 .

a) Whether "Patent" falls under definition of "Goods"

b) Whether "Shares & debentures " of a company falls under the definition of "Goods"

(5+5)

(ख) प्रतियोगिता अधिनियम (Competition Act) 2002 अनुसार निम्नलिखित की व्याख्या करें:–

1. क्या 'पेटेंट' 'माल (Goods)' की परिभाषा के तहत आता है।
2. क्या किसी कंपनी के शेयर और डिबेंचर 'माल (Goods)' की परिभाषा में आते हैं।

Question no-6 (a) Explain:-

1) Admissibility of advance to family members of deceased government servant for journey from last HQ to declared Home Town or any other place , where family wishes to settle.
2) Admissibility of Travelling allowance of family member of Government Servant who may not accompany him on transfer to new station.

(5+5)

प्रश्न.संख्या 6 (क)

1. मृतक शासकीय सेवक के परिवार के सदस्यों को अंमि मुख्यालय से गृहनगर (home town) या किसी अन्य स्थान, जहां परिवार बसने की इच्छा हो कि यात्रा करने के लिए अन्तिम राशि प्रदार करने की पात्रता पर टिप्पणी दे।
2 सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य जोकि नए स्टेशन पर स्थानांतरण के समय उनके साथ यात्रा नहीं कर सके, को यात्रा भत्ते की प्रात्रता पर टिप्पणी दे।

(b) An official from Directorate of Health & Family welfare travelled on official tour from Shimla to Delhi . He started his journey to Delhi on 23.3.2020 at 7.00 am by bus and reached Delhi on same day at 5.00 pm . He stayed at Delhi on 24.3.20 & 25.3.20 and attended official work at Ministry . He started his return journey on 26.3.2020 at 6.00 am by bus and reached Shimla on same day at 3.00 pm

He belongs to category "C" and entitled to DA @Rs. 64/-- per day for journey period and @ Rs.250 /-per day for stay at Delhi. Local

transportation and terminal transport was admissible to him @ Rs.150 /- per day & Rs. 100 per day respectively .

Calculate the following:-

1) Daily allowance
2) Admissibility of local transportation allowance
3) Admissibility of terminal transportation allowance

(10)

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के एक अधिकारी ने शिमला से दिल्ली के लिए अधिकारिक दौरे पर यात्रा की। उन्होंने दिनांक 23.03.2020 को सुबह 7.00 बजे दिल्ली के लिए बस से यात्रा की और उसी दिन शाम 5.00 बजे दिल्ली पहुंचे। वह दिनांक 24.03.2020 और दिनांक 25.03.2020 को दिल्ली में रहे और मंत्रालय में सरकारी कार्य में भाग लिया। उन्होंने दिनांक 26.03.2020 को सुबह 6.00 बजे बस से अपनी वापसी यात्रा शुरू की और उसी दिन दोपहर 3 बजे शिमला पहुंचे।

उपर्युक्त तथ्य के आधार पर निम्नलिखित की गणना करें:–

1. दैनिक भत्ता
2. स्थानीय परिवहन भत्ते की स्वीकार्यता
3. टर्मिनल परिवहन भत्ते की स्वीकार्यता

Question no-7 (a)Prepare the Half pay leave account of Sh. "M"w.e.f. 1.7.17 to 1.1.20 from the following details:-

1) HPL credit in his account as on 30.6.2017 = 383.
2) Availed commuted leave of 30 days w.e.f. 16.8.17 to 14.9.17.
3) Availed HPL on private grounds w.e.f. 25.6.18 to 20.7.18.
4) He remained absent from duty w.e.f. 6.3.19 to 10.4.19 and this period is treated as dies non by the authority .

(10)

प्रश्न.7 (क) श्री एम के अर्धवेतन अवकाश खाता दिनांक 1.07.17 से 1.01.2020 की अवधि तक, निम्नविवरण तैयार करे:–

1. दिनांक 30.06.2017 को उनके खाते में अर्ध वेतन अवकाश 383 = दिन
2. वह दिनांक 16.08.2017 से 14.09.2017 30 दिन, परिवर्तित अवकाश पर रहे।
3. वह दिनांक 25.06.2018 से 20.07.2018 तक अर्ध वेतन अवकाश (निजी आधार) पर रहे।
4. वह दिनांक 6.03.2019 से 10.04.2019 तक सेवा/डयूटी से अनुपस्थित रहे। एक अवधि को प्राधिकारी द्वारा (Dies-non) माना गया।

b) Explain :-

1. Encashment of earned leave while availing the LTC (provision applicable to employees of government of Himachal Pradesh.)
2. Time limit for presentation of LTC claim
3. Provision for escort to handicapped employee for LTC
4. Absence after expiry of leave
5. Overstayal of Joining time (2+2+2+2+2)

(ख) व्याख्या करें:–

1. रियायती अवकाश यात्रा का लाभ उठाते समय अर्जित अवकाश का नगदीकरण (हिमाचल सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रावधान)
2. रियायती अवकाश यात्रा का दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा।
3. रियायती अवकाश यात्रा के लिए विकलांग कर्मचारियों को अनुरक्षक प्रदान करने का प्रावधान।
4. अवकाश समाप्त होने के उपरांत अनुपस्थिति।
5. कार्यग्रहण की अवधि के समाप्त होने के उपरांत अत्यवस्थान।

Question no 8 (A) Write short note on :

1) Compensation pension
2) Compassionate Allowance

(4+4)

प्रश्न.8 (क) निम्नलिखित पर लघु नोट लिखे:–

1. मुआवजा पेंशन
2. अनुकंपा भत्ता

(B) From the particulars given below calculate the following :

1) Qualifying service
2) Superannuation pension
3) Retirement Gratuity (DA@151% of basic pay)

i. Date of birth = 15.10.61
ii. Date of appointment =1.5.85
iii. Date of retirement = 31.10.19
iv. Pay as on 1.1..19 = 26000+ 5400
v. Availed EOL without medical w.e.f. 1.4.16 to 30.9.16
vi. Awarded dies non from 24.4.98 to 23.5.98 . The interruption is condoned by competent authority for pensionary benefits .

(12)

(ख) नीचे दिए गए विवरणों से निम्नलिखित की गणना करें:–

1. **योग्यता सेवा**
2. **सेवानिवृत्ति पेंशन**
3. **रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DA मूल वेतन का @ 151%)**

1. जन्म तिथि – 15.10.61
2. नियुक्ति की तिथि – 1.05.85
3. सेवानिवृत्ति की तिथि – 31.10.19
4. दिनांक 1.1. . 19 को वेतन – 26000+5400
5. असाधारण अवकाश (बिना चिकित्सा के) – 1.4.16 से 30.9.16
6. 24.4.98 से 23.5.98 तक की अवधि को Dies-non माना गया सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस व्यावधान को पैंशन लाभ के लिए माफ किया गया।

Question no-9 (a)Comment on following :-

i. A Government Servant died before attaining the age of superannuation. . He had made his wife as nominee to receive the GPF balance . However, police charged wife of deceased government with the murder of Government Servant . DDO/ Head of Office sanctioned / released the GPF balance in favour of nominee.

ii. Sh. "A" was working as Sr. Assistant in the Department of Agriculture . His date of birth was 1.9.61. Head of Department issues order of his retirement indicating therein that he will retire from government service on 30.9.2019 after attaining age of superannuation i.e. 58 years.

(4+4)

प्रश्न.9 (क) निम्नलिखित पर टिप्पणी करें:–

अ. सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। उन्होने अपनी पत्नी को सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम शेष राशि प्राप्त करने के लिए नामित बनाया था। हालांकि, पुलिस ने मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी पर सरकारी कर्मचारी की हत्या का आरोप लगया। आहरण एवं वितरण अधिकारी/कार्यालाय प्रमुख ने स्वीकृत/नामांकित व्यक्ति के पक्ष में भविष्य निधि की शेष राशि को जारी करने की स्वीकृति दे दी।

ब. श्री 'ए' कृषि विभाग में सिनियर असिस्टैंट के रूप में काम कर रहे थे। उनकी जन्म तिथी 1.09.61 थी। विभागाध्यक्ष ने उनके सेवानृत्ति आदेशों में दर्शाया कि वह दिनांक 30.9.19 को सेवानृति की आयु यानि 58 वर्ष पूर्ण करने पर, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

(b) A Senior Assistant drawing a pay of Rs. 20630 (16230+4400) w.e.f. 1.9.18 in the Pay Band and Grade pay of Rs. 10,300-34,800 + 4400 is promoted to the higher post of Superintendent Gr-II in the pay band and grade pay of Rs.10300-34800 + 4800 on 15.7.19 . He opted to get his pay fixed after earning his increment in the lower post . Fix his pay and state D.N.I.

(12)

(ख) वरिष्ठ सहायक जो कि दिनांक 1.09.18 से वेतनमान रू0 10300– रू0 34800 + रू0 4400 में मु0 20630 रू0 (16230 + 4400) का वेतन अहारित कर रहे थे, कि पदोन्नति दिनांक 15.7.19 को अधिक्षक ग्रेड II वेतनमान रू0 10300–रू 34800 + रू0 4800 में हुई। उन्होने पदोन्नति पर अपना वेतन निर्धारण पिछले निचले पद पर अपनी वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरांत का विकल्प चुना। उनका वेतन निर्धारण तदाअनुसार करें तथा अगली वेतन की तारीख दर्शाएं।